U.T ADMINISTRATION OF DAMAN & DIU DEPARTMENT OF AGRICULTURE O/o THE ZONAL AGRICULTURE OFFICER DAMAN & DIU DAMAN

No. ZAO/DMN/ FTC /2011-12/07/117

Dated: 13 /06/2014.

LIMITED TENDER N O T I C E

Sealed tenders are hereby invited on behalf of the Department of Agriculture, Daman & Diu, U. T. Administration of Daman & Diu from the individual/ firms/ organization providing catering services to the Department of Agriculture as detailed below:

Sr. No.	Description of Item	Qnty.
l.	Providing catering service during farmers' training programmes:	25 persons per day
	Tea : Twice a day	the state of the s
	(Milk/ water ratio= 50:50)	
	Breakfast (Vegetarian): Including items-	
	Poha/ khaman/ shira/ upma : Any one	
	Banana/ Papaya/ Orange/ Guava: Any one	the state of the s
	Tea (Milk/ water ratio= 50:50)	
	Lunch (Vegetarian): Including items-	The second se
	Wheat Roti	
	Steamed Rice	A DATE OF A DATE AND A DATE
	Dal/ Dal Fry	
	Vegetable: 01 green and 01 pulses	CLASSING FOR DEPENDENT
	Green Salad	OC LAST THE STATE OF THE DESTRICTION OF THE OWNER OWN
	Butter Milk	
	Dinner (Vegetarian): Including items-	and the second provide the particular in the
	Wheat Roti	the state of the s
	Steamed Rice	
	Dal/ Dal Fry	
	Vegetable: 01 green and 01 pulses	
	Green Salad	

Terms & Conditions:

- 11. The interested parties should quote their offer/ rates per person on their letter head or plain paper with their signature & seal.
- 12. The rates should be inclusive all taxes & valid up to 31st March, 2015.
- 13. The interested parties should be able to provide the catering services at Farmers Training Centre, Government Agriculture Farm, Kachigam, as & when demanded by the Department, with prior notice of a week. The services could be demanded on single or multiple occasions during the period ending on 31st March, 2015.
- 14. The caterer may either cook & serve the food at Training Centre or supply & serve otherwise, as deemed fit to him. However, the caterer has to provide fresh, healthy and hygienic food. Quantum of basic food items per person shall be unlimited.
- 15. The number of person shall subject to change without prior notice.
- 16. The payment will be made only after receiving services to the satisfaction of the concerned authority, after each occasion.
- 17. The tenders should reach this office up to 12.00 A.M. on 24/06 /2014 in the sealed envelope super scribed as "Tender for Providing catering service during farmers' training programmes" and it will be opened on the same day at 04:00 P.M. in presence of the Tenderers or their authorized representatives, if any, if possible.
- 18. The terms and conditions of this notice and, also further prescribed by this office shall be acceptable to the interested parties. No separate agreement will be executed for the purpose.
- 19. Right to reject or accept any or all tender is reserved with the undersigned.
- 20. All the disputes arising out of this business are subject to the jurisdiction of the appropriate Court/ Authority in the Union Territory of Daman & Diu.

3 griculture Officer, Zonal Danian & Diu, Daman

To,

Copy to:



The P.A. to the Secretary (Agriculture), DD & DNH, Daman...for favour of information. All Head of Offices stationed in Daman...with request for wide publicity The District Informatics Officer, NIC, Secretariat, Daman with a request to place this notice on the official website. Notice Board.

10. Concerned/ Guard file.

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन

कृषि विभाग आंचलिक कृषि कार्यालय दमण एवं दीव दमण

सं.आंच.कृषि.कार्या./दमण /कृ.प्र.के/2013-14/07/ 1)7-

दिनांक : 13/06/2014

सीमित निविदा सूचना

कृषि विभाग, दमण एवं दीव, संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन की ओर से खान-पान सेवा कृषि विभाग को निम्नानुसार आपूर्ति करने के लिए व्यक्तियों / फार्मों / संगठनों से एतदद्वारा मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं :

		मात्रा
कम सं.	मद का विवरण	25 व्यक्तियों के लिए प्रतिदिन
1.	कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान खान-पान सेवा उपलब्ध कराना : चाय: दिन में दो बार (दुध / पानी का अनुपात=50:50) नास्ता (शाकाहारी) : निम्नलिखित शामिल - पौवा / खमण / सिरा / उपमा: कोई एक केला/पपीता / संतरा / अमरूद : कोई एक	25 प्यापताचा का तिर जताव
	चाय (दुध / पानी का अनुपात=50:50) दोपहर का ओजन (शाकाहारी) : निम्नलिखित शामिल - गेहूँ की रोटी, पका हुआ चावल, दाल / दाल फ्राई, सब्जी : 01 हरी और 01 दाल, हरा सलाद, बटर दुध. रात्रि ओजन (शाकाहारी) : निम्नलिखित शामिल - गेहूँ की रोटी,पका हुआ चावल, दाल / दाल फ्राई, सब्जी : 01 हरी और 01 दाल, हरा सलाद	

निबंधन एवं शर्ते :

2.

- रुचि रखनेवाले पक्षों को अपना प्रस्ताव / अपनी दर अपने पत्रशीर्ष या सादे कागज पर अपने हस्ताक्षर एवं मुहर सहित प्रस्तुत करना चाहिए ।
- . दरों के अंतर्गत सभी कर शामिल होने चाहिए तथा ये 31 मार्च, 2015 तक वैध होना चाहिए ।
- 3. रूचि रखनेवाले पक्ष कृषक प्रशिक्षण केंद्र विभाग द्वारा एक सप्ताह की पूर्व सूचना पर कभी भी मांगे जाने पर, सरकारी कृषि फार्म, कचीगाम में खान-पान सेवा मुहैया कराने समर्थन होना चाहिए । उक्त मद 31 मार्च, 2015 को समाप्त अवधि के दौरान एक या कई अवसरों पर मांगे जा सकते हैं ।
- 4. खान-पान आपूर्तिकर्ता प्रशिक्षण केंद्र में खाना पकाकर या अन्य प्रकार से आपूर्ति कर परोस सकते हैं, जैसा उन्हें उपयुक्त लगे । परंतु खान-पान आपूर्तिकर्ता को ताजा, स्वास्थ्य कर एवं स्वच्छ भोजन देना होगा । प्रति व्यक्ति दिये जानेवाले बुनियादि खाद्य मदों की मात्रा असीमित होगी ।
- आपूर्ति किये जानेवाले मदों की संख्या में बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन हो सकता है ।
- 6. मदों को प्राप्त करने के बाद तथा संबन्धित प्राधिकारी के संतुष्ट होने पर ही भुगतान किया जायेगा ।
- 7. उक्त निविदाएँ इस कार्यालय में दिनांक २५/06/2014 को 12.00 बजे तक मुहरबंद लिफाफे में पहुँच जाना चाहिए और इन पर बड़े अक्षरों में "कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान खान-पान सेवा उपलब्ध कराने हेतु निविदा " लिखा होना चाहिए । इन्हें संभव होने पर निविदाकर्ताओं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों, यदि कोई हो की उपस्थिति में उसी दिन मध्याहन बाद 04.00 बजे खोला जायेगा ।
- 8. इस नोटिस की निबंधन एवं शर्ते तथा इस संबंध में इस कार्यालय द्वारा आगे निर्धारित निबंधन एवं शर्ते भी रूचि रखनेवाले पक्षों को स्वीकार्य होगा । इस परियोजन के अलग से करार नहीं किया जायेगा ।
- 9. किसी या सभी निविदाओं को अस्वीकार या स्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा ।
- 10. इस कार्य से संबंधित सभी विवाद संघ प्रदेश दमण एवं दीव में उचित न्यायालय / प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा ।

षि अधिकारी, आंचलिक एवं दीव, HUI दमण